रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा. APP Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

भगोती वगै० बनाम तहसीलदार बांदीकुई

किस्म मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० । वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई तहरीर जारी कर पत्रावली दिनांक 29/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
29/11/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० । वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई तहरीर जारी कर पत्रावली दिनांक 16/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
16/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई तहरीर जारी कर पत्रावली दिनांक 23/12/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
23/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार बांदीकुई ने अपने पत्रांक भू०अ०/ रम /2024 दिनांक 23/12/2024 से रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 24/12/24 को पेश हो।	
24/12/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील ने बहस में प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए तर्क किया कि भूमि ग्राम श्यालावास खुर्द पटवार हल्का श्यालावास खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 77 पुराना 73 के ख०नं० 154, 155, 156, 230, 231, 232, 233, 234, 238 कुल किता 9 कुल रकबा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

0.89 है० एवं खाता सं. नया 60 पुराना 59 के ख० न० 158, 223, 224, 225, 226, 227 236, 240, 241, 242, 243, 244 कुल किता 13 कुल रकबा 1.46 है० की वर्तमान जमाबंदी 2074-2077 में प्रार्थीगण की पिता व ससुर का नाम भौरया पुत्र मेवा जाति बैरवा अंकित है। जिससे नाम में त्रुटि के कारण भौरीलाल की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में नामान्तकरण अमल नहीं हो पा रहा है। अत: प्रार्थीगण के पिता/ससुर का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जरिये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार बाँदीकुई से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। हमने प्रार्थी वकील बहस पर मनन किया। प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार बाँदीकुई से प्राप्त जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता/ससुर का नाम भौरया गलत दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण के पिता/ससुर का सही नाम भौरीलाल पुत्र मेवाराम है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रा०पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बाँदीकुई स्थित भूमि खाता सं० नया 77 पुराना 73 एवं खाता सं. नया 60 पुराना 59 की राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज भौरया पुत्र मेवाराम को हजफ किया जाकर सही नाम भौरीलाल पुत्र मेवाराम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाँदीकुई तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बाँदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 24/12/2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

[signature] 24/12/24
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इ...

Scanned with OKEN Scanner